राजस्व प्रार्थना पत्र मुकदमा नम्बर 211/2022
उनवान — मांगीलाल V/S कानाराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही विवरण मय इन्शियल जज	नम्बर की
08.11.2024	पत्रावली पेश हुई व फरीकैन उपस्थित। फरीकैन द्वारा बहस का निवेदन किया गया। बहस सुनकर तथा मुन्सिफ अधिनियम द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर तालाब फोसला प्रमीगण के हिस्से तक मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के संबंध में अधिनियम का बहस पटमनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रमीगण के पक्ष में बनता पाया है, लिहाजा प्रमीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 RTA स्वीकार किया जाता है। आदेश खेत खसरा नम्बर 289 तादादी 5.1100 हैक्टेयर मय गैर मुमकिन 0.1200 हैक्टेयर वाकेरोही बिड़ गावा रामसरा तहसील श्रीडूंगरगढ़ में तालाब फोसला प्रमीगण के हिस्से तक मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। आदेश आज दिनांक 08.11.2024 को मौके पर सुनाया गया। पत्रावली बाद में सरे इजलास सुनाया गया। निर्णय दायरा रजिस्टर में सं.क्र. होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलास सुनाया गया।	

उमा मित्तल
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.11.25 15:30:16 IST
Reason: SelfAttested